

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- रसगण

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा

142/17

रजू दिनांक

09.06.2017

निर्णय दिनांक

28.05.2018

- अनुवान

1. कमला देवी पत्नी श्री सुबेसिंह
2. संतोष देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह
3. मुकेश देवी पत्नी श्री रोहिताश्व जातियान अहीरान निवासीयान रसगण तहसील मुण्डावर

:—वादीगण

बनाम


1. रामप्रसाद पुत्र श्री ठण्डू जाति चमार
2. रोहिताश्व
3. रमेश पुत्रान रामप्रसाद
4. उमेश पुत्र श्री रोहिताश्व जातियान चमारान निवासीयान पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
5. हीरालाल पुत्र श्री रामकुमार जाति अहीर
6. रेखा पत्नी श्री हीरालाल जाति अहीर निवासी रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:—असल प्रतिवादीगण

7. सुबेसिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति चमार निवासी जखराणा तहसील बहरोड जिला अलवर
8. रामकुमार पुत्र श्री सम्पत जाति अहीर निवासी रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:—तर0 प्रतिवादीगण

दावा-हु0ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 188

  
उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज0

—:पर्चा डिक्री:—


दिनांक:— 28.05.2018

पक्षकारान की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 28.05.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

आराजी ख0न0 2126/1569 वाके ग्राम रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के बाबत बहकवादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण असल डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण असल को हु0ई0दवामी से सदैव—सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि वे आराजी मुतनाजा की पश्चिमी डोल को ना तोड़ें, ना ही विवादित आराजी का कोई भी जूज तोडकर मंदिर की भूमि में ना मिलाएं, ना ही वादीगण के कब्जेकाशत आराजी में मजामहत ही पैदा करें, मौका व रिकार्ड की यथस्थिति बनाये रखें। सदैव—सदैव के लिए पाबंद रहे।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(महेश चन्द्र मान) उपखण्ड अधिकारी एवं मुण्डावर (अलवर) राज०  
पदेन सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर)